A052-20232024-001-758

वित्तीय स्वीकृति

संख्या-9/2023/758/52-3-2023-3002(002)/8/2021

प्रेषक,

गुलाब,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 3 लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषय के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया.

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-142/अ0सं0क0नि0-26/लेखा/मद0बजट-प्रा0/2023-24, दिनांक 11.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-02- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद में प्रावधानित धनराशि **रू0 7200.00 लाख** स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 के प्रस्तर- 2(6)(स) में निहित व्यवस्था के अनुसार केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में प्रावधानित धनराशि **रू0 7200.00 लाख में से प्रथम दो माह (अप्रैल व मई) हेतु धनराशि रू0 1200.00 लाख (रु0 बारह करोड़ मात्र)** निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की ''मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को 31.05.2023 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि से शिक्षक के किसी भी बकाया एरियर आदि का भुगतान बिना शासन की अनुमति लिये नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब)
संयुक्त सचिव।

संख्या-758(1)/52-3-23, तददिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा राज्य मंत्री जी, अल्पसंयक कल्याण विभाग,उ0प्र0।
5. कोपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
8. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।